विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः– **Cgrfsrinagar@gmail.com**

वाद संख्या–217/2025 दिनांकः– 17/01/2026

सुश्री प्यारी देवी, परिवादी
ग्राम–उमन, ब्लॉक–द्वारीखाल
पौडी गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक) *कोरम*
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

परिवादिनी सुश्री प्यारी देवी, ग्राम–उमन, ब्लॉक–द्वारीखाल, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 18.11.2025 को सतपुली शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें परिवादिनी द्वारा शिकायत की गई थी कि विद्युत मापक खराब होने के कारण मापक बदला गया था, परन्तु अगस्त माह में विद्युत बिल काफी अधिक आ रखा है जिसको ठीक करने की कृपा करें। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 811, दिनांक 21.11.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

17/1/26 Kirti Prasad 17/01/26

श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 853, दिनांक 22.12.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0—3006, दिनांक 15.01.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि संयोजन सं0—PG25504340057 का विद्युत बिल वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी सतपुली द्वारा बिल संशोधन कर दिया गया है। संशोधन उपरान्त उपभोक्ता पर वास्तविक बकाया रू0 418.00 (चार सौ अट्ठारह रू0) है।

मंच के कार्यालय पत्रांक 881, दिनांक 06.01.2026 के उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 17.01.2026 नियत की गई।

विश्लेषण

आज दिनांक 17.01.2026 को सुनवाई हुई, विपक्षी की ओर से श्री सुनील रावत (लेखाकार) उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नहीं हुये। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता के विद्युत संयोजन पर NA/NR/IDF/RDF के आधार पर बिल जारी किये गये हैं। इस प्रकार के बिल उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 तथा UERC (Elarctricity Supply Code, Release of New Connection and Related matters) Regulations, 2020 के विनिमय 5.14 एवं 5.17 के अनुसार संशोधित कर दिया गया है। मंच का मत है कि उपरोक्त संशोधन का विभाग समय पर अनुपालन कर परिवादिनी का संशोधित करना न्यायोचित है, परिवादिनी भी विपक्षी विभाग की कार्यवाही से संतुष्ट है। ऐसे में परिवाद को आगे लेजाना उचित नहीं है। उपरोक्तानुसार परिवाद स्वीकार किया जाता है और परिवाद में निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी द्वारा परिवादिनी का बिल रू0 2113.98 (रू0 दो हजार एक सौ तेरह) को संशोधित कर रू0 418.00 (रू0 चार सौ अट्ठारह) कर दिया गया है, जो कि न्यायसंगत है। विपक्षी 30 कार्यदिवश के भीतर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें।

Kul Prasad
17/01/26

17/1/26

परिवादिनी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस—1 देहरादून में अपील कर सकते हैं। दोनों पक्ष अपना—अपना वाद—व्यय स्वयं वहन करेंगें। पत्रावली अभिलेख नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

17/1/26

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

Kirti Prasad 17/01/26

कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 17.01.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

17/1/26

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

Kirti Prasad 17/01/26

कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

दिनांकः— 17/01/2026

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–218 / 2025

श्री मान सिंह जी, — वादी
ग्राम–कुन्डोली, ब्लॉक–एकेश्वर
पौडी गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड — विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)

कोरम

श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

परिवादी श्री मान सिंह, ग्राम–कुन्डोली, ब्लॉक–एकेश्वर, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 18.11.2025 को सतपुली शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें परिवादी द्वारा शिकायत की गई थी कि विद्युत मापक आर0डी0एफ0 चल रहा है, जिसको ठीक करने की कृपा करें। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 812, दिनांक 21.11.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

Kirti prasad
17/01/26

17/1/26

श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 854, दिनांक 22.12.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0—3007, दिनांक 15.01.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि संयोजन सं0—PG15407026052 का विद्युत बिल वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी सतपुली द्वारा बिल संशोधन कर दिया गया है। संशोधन उपरान्त उपभोक्ता पर वास्तविक बकाया रू0 —251.68 है।

मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 882, दिनांक 06.01.2026 के उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 17.01.2026 निश्चित् की गई।

विश्लेषण

आज दिनांक 17.01.2026 को सुनवाई हुई, विपक्षी की ओर से श्री सुनील रावत (लेखाकार) उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नहीं हुये। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता के विद्युत संयोजन पर NA/NR/IDF/RDF के आधार पर बिल जारी किये गये हैं। इस प्रकार के बिल उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 तथा UERC (Elarctricity Supply Code, Release of New Connection and Related matters) Regulations, 2020 के विनिमय 5.14 एवं 5.17 के अनुसार संशोधित कर दिया गया है। मंच का मत है कि उपरोक्त संशोधन का विभाग समय पर अनुपालन कर परिवादी का संशोधित करना न्यायोचित है, परिवादी भी विपक्षी विभाग की कार्यवाही से संतुष्ट है। ऐसे में परिवाद को आगे लेजाना उचित नहीं है। उपरोक्तानुसार परिवाद स्वीकार किया जाता है और परिवाद में निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी द्वारा परिवादी का बिल संशोधित कर —251.68 (ऋणात्मक दो सौ इक्कावन रू0 अडसढ पैंसे) कर दिया गया

Kuti prasad
17/01/26

17/1/26

है, जो कि न्यायसंगत है। विपक्षी 30 कार्यदिवश के भीतर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें।

परिवादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस—1 देहरादून में अपील कर सकते हैं। दोनों पक्ष अपना—अपना वाद—व्यय स्वयं वहन करेंगें। पत्रावली अभिलेख नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

17/1/26
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

Kirti Prasad 17/01/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 17.01.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

17/1/26
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

Kirti Prasad 17/01/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

दिनांकः— 17/01/26

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः– **Cgrfsrinagar@gmail.com**

वाद संख्या–219/2025

श्री सोबन सिंह — वादी
ग्राम–बिलखेत
पौडी गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड — विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)

कोरम

श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

परिवादी श्री सोबन सिह, पुत्र श्री रघुवीर सिंह, ग्राम–बिलखेत सिंह, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 18.11.2025 को सतपुली शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें परिवादी द्वारा खराब मापक को बदलने सम्बन्धी शिकायत की गई थी। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 813, दिनांक 21.11.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 855, दिनांक 22.12.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–3008, दिनांक 15.01.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि संयोजन सं0–PG25102338214 के परिसर पर स्थापित पुराना खराब मापक बदलकर विद्युत परीक्षण खण्ड श्रीनगर द्वारा नया विद्युत मापक स्थापित कर

17/1/26

Kirti Prasad
17/01/26

दिया गया है। संशोधन उपरान्त उपभोक्ता पर वास्तविक बकाया रू0 2930.00 का भुगतान भी कर दिया गया है।

मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 883, दिनांक 06.01.2026 के उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 17.01.2026 नियत की गई।

विश्लेषण

आज दिनांक 17.01.2026 को सुनवाई हुई, विपक्षी की ओर से श्री सुनील रावत (लेखाकार) उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नहीं हुये। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि विपक्षी द्वारा परिवादी का खराब मापक बदल दिया गया है। जिससे कि परिवादी संतुष्ट है। संशोधन उपरान्त उपभोक्ता पर वास्तविक बकाया रू0 2930.00 का भुगतान भी कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है, परिवादी के परिसर पर स्थापित खराब मापक बदल दिया गया है एवं संशोधन उपरान्त उपभोक्ता पर वास्तविक बकाया रू0 2930.00 (रू0 दो हजार नो सौ तीस) का भुगतान भी कर दिया गया है। उपरोक्त का पालन 30 कार्य दिवस के भीतर मंच के समक्ष अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें ।दोनो पक्ष स्वयं अपना खर्चा वहन करेगें। यदि वादी मंच के आदेश से असंतुष्ट रहता है तो वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस—1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर 17/1/26
(सदस्य उपभोक्ता)

Kirti Prasad 17/01/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 17.01.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर 17/1/26
(सदस्य उपभोक्ता)

Kirti Prasad 17/01/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:– Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–220 / 2025

श्री सुरेन्द्र सिंह
ग्राम–गडरी मल्ली
पौडी गढवाल। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड — विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक) — कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री भोपाल सिंह, ग्राम–गडरी मल्ली, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 18.11.2025 को सतपुली शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें परिवादी द्वारा अत्यधिक विद्युत बिल आने सम्बन्धी शिकायत की गई थी। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 814, दिनांक 21.11.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 856, दिनांक 22.12.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–3009, दिनांक 15.01.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि संयोजन सं0–PG26314339557 का विद्युत बिल वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी सतपुली द्वारा बिल संशोधित कर दिया गया है। संशोधन उपरान्त उपभोक्ता पर वास्तविक बकाया रू0 325.00 का भुगतान भी कर दिया गया है।

Kirti Prasad
17/01/26

17/1/26

मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 884, दिनांक 06.01.2026 के उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 17.01.2026 निश्चित् की गई।

मंच द्वारा विपक्षी को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये दिनांक 29.12.2025 को आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया जिसके क्रम में विपक्षी ने पत्रांक सं0 3009 के माध्यम से दिनांकित 15.01.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि परिवादी के रू0 3545 (रू0 तीन हजार पांच सौ चव्वन) के बिल को संशोधित कर रू0 325.00 (रू0 तीन सौ पच्चीस) कर दिया गया है। जिसका परिवादी द्वारा भुगतान भी कर दिया गया है।

विश्लेषण

आज दिनांक 17.01.2026 को सुनवाई हुई, विपक्षी की ओर से श्री सुनील रावत (लेखाकार) उपस्थित हुये एवं परिवादी को दूरभाष से सुना गया। मंच ने उभय पक्षो को सुना और प्रस्तुत परिवाद में मंच ने पाया गया कि विपक्षी ने परिवादी के बिल को माननीय आयोग के विनियमों के आधार पर संशोधित कर दिया गया है, परिवादी विभाग की कार्यवाही से संतुष्ट है। परिवाद का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग 30 कार्यदिवश के भीतर अनुपालन आख्या 01 माह के भीतर मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस-1 देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली अभिलेख नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

17/1/26

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

Kirti Prasad 17/01/26

कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 17.01.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

17/1/26

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

Kirti Prasad 17/01/26

कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

दिनांकः- 17/01/2026

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–221/2025

सुश्री शान्ति देवी — वादी
ग्राम–मवाना, पो0–सरासु (असवालस्यू)
पौडी गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड — विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक) — *कोरम*
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वदिनी सुश्री शान्ति देवी, ग्राम–मवाना, पो0–सरासु (असवालस्यूं), पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 18.11.2025 को सतपुली शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादिनी द्वारा विद्युत बिल में नाम संशोधन करने सम्बन्धी शिकायत की गई थी। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 815, दिनांक 21.11.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 857, दिनांक 22.12.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–3010, दिनांक 15.01.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि संयोजन सं0–PG15213332265 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता पर आधार कार्ड के आधार पर वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी सतपुली द्वारा उपभोक्ता नाम सही कर दिया गया है।

Kirti Prasad
17/01/26

17/1/26

मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 885, दिनांक 06.01.2026 के उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 17.01.2026 नियत की गई।

विश्लेषण

आज दिनांक 17.01.2026 को सुनवाई हुई, विपक्षी की ओर से श्री सुनील रावत (लेखाकार) उपस्थित हुये एवं परिवादी उपस्थित नहीं हुये। पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादिनी का नाम आधार कार्ड के आधार पर अंकित अंग्रेजी वर्तनी के आधार पर सही कर दिया गया है। जिससे परिवादिनी सहमत है।

आदेश

परिवादी का परिवाद उपरोक्तानुसार स्वीकार किया जाता है, विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह 30 कार्यदिवशों के भीतर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली अभिलेख नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

17/1/26

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

Kirti Prasad 17/01/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 17.01.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

17/1/26

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

Kirti Prasad 17/01/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

दिनांकः– 17/01/2026

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–223/2025

श्री दलबीर सिंह – उपभोक्ता — वादी
सतपुली
पौडी गढवाल।
परिवादी/शिकायतकर्ता–भुपेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री दलबीर सिंह
सतपुली, पौडी गढवाल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड — विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

परिवादी स्व0 श्री दलवीर सिंह, सतपुली, पौडी गढवाल द्वारा श्री भुपेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री दलबीर सिंह का शिकायती पत्र दिनांक 18.11.2025 को सतपुली शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें परिवादी द्वारा विद्युत बिल में नाम संशोधन करने सम्बन्धी शिकायत की गई थी। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 817, दिनांक 21.11.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया। और जवाबदावा प्राप्त न होने पर विपक्षी को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा पुनः अपने पत्र सं0 859, दिनांक 22.12.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–3012, दिनांक 15.01.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित उपभोक्ता को वांछित दस्तावेज उपलब्ध

Kirti Prasad
17/01/26

17/1/26

कराये जाने हेतु सूचित किया गया था। किन्तु आतिथि तक उपभोक्ता द्वारा वांछित दस्तावेज उपखण्ड कार्यालय में जमा न किये जाने के कारण शिकायत का निस्तारण सम्भव नहीं हो पा रहा है।

मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 887, दिनांक 06.01.2026 के उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 17.01.2026 नियत की गई।

विश्लेषण

आज दिनांक 17.01.2026 को सुनवाई हुई, विपक्षी की ओर से श्री सुनील रावत (लेखाकार) उपस्थित हुये एवं परिवादी उपस्थित नहीं हुये। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित दूरभाष नं0 9456379429 से पता करने पर मालूम हुआ कि उक्त बिल दलबीर सिंह की जगह बलवीर सिंह होने से जमा नही हो पा रहा है। परिवादी श्री दलबीर सिंह, ग्रामसभा–पुण्डेर, पट्टी–कोडिया, तहसील–लैंसडाउन का रहने वाला है, जिसका दूरभाष नं0–8700056537 है। परिवादी श्री भुपेन्द्र सिंह पुत्र र्स्व0 श्री दलबीर सिंह द्वारा दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मेरे पिताजी स्व0 श्री दलबीर सिंह की मृत्यु हो गई है एव हम 04 भाई है और उक्त संयोजन को मेरे (श्री भुपेन्द्र सिंह पुत्र र्स्व0 श्री दलबीर सिंह) नाम पर किये जाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है चूंकि मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है इसीलिए मैं उपरोक्त संयोजन को अपने नाम पर कराना चाहता हूं। इसीलिए उक्त प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा प्रेषित किया गया है।

शिकायतकर्ता उक्त मामले में विद्युत वितरण उपखण्ड, सतपुली में जाकर विभाग से जानकारी प्राप्त कर विभागीय कार्यवाही को पूर्ण कर उक्त संयोजन को अपने नाम पर करा सकता है। चूंकि उक्त मामला विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित है, इसीलिए विभागीय जानकारी / परिपत्रों को पूर्ण कर उक्त संयोजन को अपने नाम करा सकते हैं।

Kirti Prasad
17/01/26

17/1/26

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है, परिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह विद्युत वितरण उपखण्ड, सतपुली में जाकर सम्पूर्ण विभागीय औपचारिकतायें पूर्ण कर संयोजन / बिल पर अपना नाम करा सकता है। परिवादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली अभिलेख नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

17/1/26

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

Kirti Prasad
17/01/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 17.01.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

17/1/26

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

Kirti Prasad
17/01/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

दिनांकः– 17/01/26

<u>विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)</u>

<u>द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174</u>

***दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–* <u>Cgrfsrinagar@gmail.com</u>**

<u>वाद संख्या–224 / 2025</u>

सुश्री गैंणी देवी   वादिनी
ग्राम–मठाप डण्डा,
पौडी गढवाल।

<u>बनाम</u>

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड   विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)   कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

परिवादिनी सुश्री गैंणी देवी, ग्राम–मठाप डण्डा, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 18.11.2025 को सतपुली शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें परिवादी द्वारा विद्युत मापक आर0डी0एफ0 चलने सम्बन्धी शिकायत की गई थी। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 818, दिनांक 21.11.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 860, दिनांक 22.12.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

Kirti Prasad
17/01/26

17/1/26

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–3011, दिनांक 15.01.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि संयोजन सं0–PG15405090177 का विद्युत बिल वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी सतपुली द्वारा बिल संशोधन कर दिया गया है। संशोधन उपरान्त उपभोक्ता पर वास्तविक विद्युत बिल रू0 –3.54 है।

मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 888, दिनांक 06.01.2026 के उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 17.01.2026 नियत की गई।

विश्लेषण

आज दिनांक 17.01.2026 को सुनवाई हुई, विपक्षी की ओर से श्री सुनील रावत (लेखाकार) उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नहीं हुये। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता के विद्युत संयोजन पर NA/NR/IDF/RDF के आधार पर बिल जारी किये गये हैं। इस प्रकार के बिल माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 तथा UERC (Elarctricity Supply Code, Release of New Connection and Related matters) Regulations, 2020 के विनिमय 5.14 एवं 5.17 के अनुसार संशोधित कर दिया गया है। मंच का मत है कि उपरोक्त संशोधन का विभाग समय पर अनुपालन कर परिवादी का संशोधित करना न्यायोचित है, परिवादिनी भी विपक्षी विभाग की कार्यवाही से संतुष्ट है। ऐसे में परिवाद को आगे लेजाना उचित नहीं है। उपरोक्तानुसार परिवाद स्वीकार किया जाता है और परिवाद में निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी द्वारा परिवादिनी का बिल संशोधित कर –3.54 (ऋणात्मक तीन रूपये चव्वन पैंसे) कर दिया गया है, जो कि न्यायसंगत है। विपक्षी 30 कार्यदिवश के भीतर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। परिवादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के

17/1/26

अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस—1 देहरादून में अपील कर सकते हैं। दोनों पक्ष अपना—अपना वाद—व्यय स्वयं वहन करेंगें। पत्रावली अभिलेख नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

17/1/26
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

Kirti prasad 17/01/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 17.01.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

17/1/26
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

Kirti prasad 17/01/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

दिनांकः— 17/01/2026

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–225 / 2025

श्री मुकेश नेगी — वादी
ग्राम–बाडाडाण्डा, बीरोंखाल
पौडी गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीडाण्डा।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

परिवादी श्री मुकेश नेगी, पुत्र श्री श्याम सिंह नेगी, ग्राम–बाडाडाण्डा, बीरोंखाल, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 19.11.2025 को बीरोंखाल शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें परिवादी द्वारा शिकायत की गई थी कि गांव की विद्युत तारें झूल रही है, जिससे जनहानि होने की सम्भावना है जिसको न्यायहित में तत्काल सही किया जाना आवश्यक है जिससे की भविष्य में कोई बडी दुर्घटना न हो। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नैनीडांण्डा को अपने पत्रांक सं0 818, दिनांक 21.11.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड नैनीडांण्डा द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 850, दिनांक 22.12.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

Amit 17/1/26 — Kirti Prasad 17/01/26

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–01 / वि0वि0उ0ख0(स्यूं0) / , दिनांक 07.01.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि ग्राम–बाडाण्डा में विद्युत पोल लगाकर विद्युत तारों को सुव्यवस्थित कर दिया गया है। अतः शिकायतकर्ता की शिकायत का निस्तारण किया जा चुका है।

विश्लेषण

आज दिनांक 17.01.2026 को बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा विद्युत पोल लगाकर विद्युत तारों को सुव्यवस्थित कर दिया गया है। जिससे अब किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न नहीं हो सकता है। उपरोक्तानुसार पत्रावली का निस्तारण कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है, विपक्षी द्वारा शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है जिस पर परिवादी सहमत है। वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

17/1/26 — अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

17/01/26 — कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 17.01.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

17/1/26 — अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

कीर्ति प्रसाद भट्ट 17/01/26
सदस्य (न्यायिक)

दिनांकः– 17/01/26

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
_दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:–_ **Cgrfsrinagar@gmail.com**

<u>*वाद संख्या–226 / 2025*</u>

श्री केवलराम — वादी
ग्राम–सत्यनगर, बीरोंखाल
पौडी गढवाल।

<u>*बनाम*</u>

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड — विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीडाण्डा।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

परिवादी श्री केवलराम, ग्राम–सत्यनगर, बीरोंखाल, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 19.11.2025 को बीरोंखाल शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें परिवादी द्वारा विद्युत मापक बदलने सम्बन्धी शिकायत की गई थी। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नैनीडांण्डा को अपने पत्रांक सं0 820, दिनांक 21.11.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड नैनीडांण्डा द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 851, दिनांक 22.12.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

Kirti Prasad
17/01/26

17/1/26

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–02/वि0वि0उ0ख0(स्यूं0)/, दिनांक 07.01.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता का खराब मापक बदलवा दिया गया है।

विश्लेषण

आज दिनांक 17.01.2026 को बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि परिवादी की शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है अब परिवादी को विभाग से शिकायत नहीं रह गयी है। उपरोक्तानुसार मामले का निस्तारण किया गया है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी का खराब मापक बदल दिया गया है। अब परिवादी को विभाग से शिकायत नहीं रह गयी है। उपभ पक्ष अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगें। वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

17/1/26
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

Kirti Prasad 17/01/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 17.01.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

17/1/26
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

Kirti Prasad 17/01/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

दिनांकः– 17/01/26

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः– Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–227 / 2025

श्री हयात सिंह   वादी
ग्राम–कोलारी मल्ली, बीरोंखाल
पौडी गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड   विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीडाण्डा।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

परिवादी श्री हयात सिंह, ग्राम–कोलारी मल्ला, बीरोंखाल, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 19.11.2025 को बीरोंखाल शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें परिवादी द्वारा विद्युत मापक बदलने सम्बन्धी शिकायत की गई थी। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नैनीडांण्डा को अपने पत्रांक सं0 821, दिनांक 21.11.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड नैनीडांण्डा द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 852, दिनांक 22.12.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–03 / वि0वि0उ0ख0(स्यूं0) /, दिनांक 07.01.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता का खराब मापक बदलवा दिया गया है।

Kirti prasad
17/01/26

17/1/26

विश्लेषण

आज दिनांक 17.01.2026 को बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि जबकि माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत *General Condition of Supply के पैरा न0 (4) में वर्णित In case of Appear defective metetr (ADF) Indentified defective meter (IDF) and Reading defect (RDF) cases, The consumers shall be billed on the basis of the average consumption of the past three billing cycles immediately precending the date of the meter being found or being reported defective (as per the Electricity supply code), These charges shall be leviable for a maximum period of two billing cycle in case of bi-monthly billing only during which time the licensee is required to replace the defective meter. Thereafter, the licensee shall not be entitled to raise any bill without correct meters.* के अनुसार विपक्षी 02 बिलिंग साइकिल के आई0डी0एफ0 के बिल लेने के लिए ही अधिकृत है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वादी का खराब मापक बदलने की दिनांक तक के बिल *General Condition of Supply के पैरा न0 (4)* में वर्णित निर्देशानुसार संशोधित करें।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 17.01.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

दिनांकः 17/01/26

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–228/2025

श्री अमित भदुला — वादी
ग्राम–सुन्दरई, चौबट्टाखाल
पौडी गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड — विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

परिवादी श्री अमित भदुला, ग्राम–सुन्दरई, चौबट्टाखाल, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 19.11.2025 को बीरोंखाल शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें परिवादी द्वारा शिकायत की गई थी कि

I am writing to bring to your urgent attention that the electricity meter installed at our premises (Consumer No.: 42100538681, Address: Gram Sundarai, Chaubattakhal, Pauri Garhwal, Uttarakhand, was burnt in March 2025 (approximately 9 months ago). I raised a complaint with the concerned UPCL office immediately no. 22103250428 dated 21/03/2025; however, despite despite follow-ups, the meter has still not been replaced.

Due to the non-availability of a functional meter, I am facing continuous inconvenience, irregular billing issues, and unnecessary safety risks. This prolonged delay is causing significant hardship and reflects negligence in addressing a critical electricity-related issue.

I request you to kindly take immediate action to replace the burnt meter with a new one at the earliest and ensure proper documentation and billing as per regulations. I also request confirmation of the action taken.

Kirti Prasad
17/01/26

17/1/26

I trust the department will resolve this matter without any further delay.
इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 828, दिनांक 21.11.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड पौडी द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 864, दिनांक 29.12.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0—2869 / वि0वि0ख0(पौ0) / उपाकालि, दिनांक 01.01.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन संख्या—PG66301832026 के परिसर पर स्थापित पुराना जला हुआ मापक बदलकर विद्युत परीक्षण खण्ड श्रीनगर द्वारा नया विद्युत मापक स्थापित कर दिया गया है। वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी सतपुली द्वारा बिल संशोधन कर दिया गया है। संशोधन उपरान्त उपभोक्ता पर वास्तविक बकाया रू0 13968.00 भुगतान हेतु लम्बित है।

विश्लेषण

आज दिनांक 17.01.2026 को बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के परिसर पर स्थापित पुराना जला हुआ मापक माह 12 / 2025 को बदल दिया गया है। संशोधन उपरान्त उपभोक्ता पर वास्तविक बकाया रू0 13968.00 (रू0 तेहर हजार नो सौ अडसठ) भुगतान हेतु लम्बित है, जिसको कि परिवादी द्वारा जमा कराया जाना आवश्यक है तथा मापक बदले जाने पर परिवादी पूर्ण रूप से संतुष्ट है, इस आधार पर परिवादी की शिकायत का निस्तारण किया जाता है।

Kul, Prasad
17/01/26

17/1/26

वाद सं0—228 / 2025
(उ0शि0नि0मं0—श्रीनगर)

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है, विपक्षी विभाग द्वारा पुराने जले हुये मापक को बदलकर परिवादी के परिसर पर नये मापक को स्थापित कर दिया गया है। वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस—1 देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली अभिलेख नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

17/1/26
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

Kirti Prasad 17/01/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 17.01.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

17/1/26
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

Kirti Prasad 17/01/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

दिनांकः— 17/01/26